न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 33–एक/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–10–06 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 03/बी–103/धारा 33/2005–06.

बिन्देश्वरी पटेल आतमज भैरव प्रसाद पटेल
निवासी खिरहनी फाटक, कटनी

——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प,
महाराष्ट्र व्यायाम शाला, मढ़ाताल जबलपुर म.प्र.

——— अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] राणा
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री एच.के. अग्रवाल

:: आदेश ::
(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/बी–103/धारा 33/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 20–10–06 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के तहत प्रस्तुत की गई है

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकाश [illegible] पटेल एवं मुन्नीबाई पत्नी स्व. गनेश पटेल द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अपने भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम [illegible] तहसील व जिला कटनी स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 327/2 रकबा 0.363 हैक्टर एवं खसरा नं. 330/1 रकबा 0.318 हैक्टर कुल रकबा 0.681 हैक्टर को 5,50,000 [illegible] खरीदने हेतु विकय इकरारनामा [illegible] के स्टाम्प पर [illegible] दिनांक 22–[illegible] निष्पादित किया गया । अपर जिला न्यायाधीश, कटनी द्वारा इकरारनामा अपर्याप्त [illegible] स्टाम्पित होने से उचित मुद्रांकित घोषित करने के लिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को [illegible]

शुल्क रूपये 43,950/- एवं शास्ति रूपये 4,39,500/- अधिरोपित की । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने आयुक्त न्यायालय में अपील की जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 17-10-08 को आदेश पारित किया गया कि यह प्रकरण धारा 3... अधिनियम के अंतर्गत निराकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील ग्राह्य करने की शक्ति आयुक्त को नहीं है और अपील निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपील की जिसे इस न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 25-...-02 द्वारा उनके निवेदन पर निगरानी के रूप में परिवर्तित किया गया किंतु आदेश दिनांक 28-4-10 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को विधिवत प्रस्तुत किया जाना मान्य न करते हुए अपील निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 7713/2010 पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-2-...3 को आदेश पारित करते हुए राजस्व मंडल का उक्त आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है कि इस निगरानी प्रकरण का निराकरण विधिनुसार किया जाये ।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण में उपलब्ध सामग्री को अनदेखा कर आदेश पारित किया है । इनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक गरीब किसान है और कलेक्टर ने उस पर अधिकतम 10 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित कर अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है ।

4- अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में भूमि विक्रय का अनुबंध वर्ष 2002 में हुआ था और जो इकरारनामा है वह कब्जा सहित है । यह भी स्पष्ट है कि इकरारनामे पर स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं की गई है और लिखत केवल 50 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित है । अतः इस प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने लिखत में उल्लेखित प्रतिफल रूपये 5,50,000/- को बाजार मूल्य मानने का जो आदेश दिया है वह औचित्यपूर्ण एवं न्यायोचित है । जहां तक शास्ति आरोपित करने का प्रश्न है, वह कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का विवेकाधिकार है ...

हस्तक्षेप के लिए जब तक कोई न्यायिक और विधिसम्मत आधार न हों हस्तक्षेप किया जाना संभव नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर